

क्रमांक : एफ.3(1)2011 / कार्मिक / से.नि. / प्रमुवसं / पार्ट-V / 109

दिनांक : 23/1/23

कार्यालय-आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों के इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 3 (1)2011 / कार्मिक / से.नि. / प्रमुवसं / पार्ट-V / 12067-75, 12103-04, 12112-20 दिनांक 30.11.2022 के द्वारा लोक सेवकों के 60 वर्ष अधिवार्षिकी आयु पूर्ण किए जाने के फलस्वरूप सेवानिवृत्ति आदेश प्रसारित किए गए थे। उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर द्वारा प्रेषित संशोधित प्रस्ताव क्रमांक 8828 दिनांक 13.12.2022 के क्रम में उक्त आदेश में निम्नलिखित लोक सेवकों के सम्मुख अंकित पदनाम में आंशिक संशोधन किए जाने के आदेश एतद द्वारा प्रसारित किए जाते हैं:-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी के पिताजी का नाम	पदस्थापन स्थान	आदेश दिनांक 30.11.2022 में पदनाम	संशोधित पदनाम
1	श्री नानाशंकर पालीवाल	श्री केसरीलाल जी पालीवाल	उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर	अतिरिक्त निजी सहायक	अतिरिक्त निजी सचिव
2	श्री लोकेश कुमार	श्री किशोरी लाल			निजी सहायक
3	श्री नरेश कुमार सिंघल	श्री ईश्वर प्रसाद सिंघल			

(डॉ. दीप नारायण पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.3(1)2011 / कार्मिक / से.नि. / प्रमुवसं / पार्ट-V / 110-113 दिनांक : 23/1/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
3. कोषाधिकारी कोषालय, जयपुर।
4. सम्बन्धित कर्मचारी सर्वश्री नानाशंकर पालीवाल / लोकेश कुमार / नरेश कुमार सिंघल।
5. प्रभारी जांच / गोपनीय / कार्मिक (मंत्रालयिक) अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

(बज मोहन राय)
Digitally signed by Deep Narayan
Pandey, वन संरक्षक (अतिरिक्त), राजस्थान, जयपुर

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अतिरिक्त), जयपुर
Conservator Of Forest
Date: 2023.01.19 16:03:55 IST
Reason: Approved